भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी0 ए0 मिस वाद संख्या **111B/2016-17**

श्याम पद महतो बनाम **कुमारी तुलसी महतो**

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
5-9-2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 336 दिनांक 21.04.2017 द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 111 B/2016–17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता श्याम पद महतो, पिता–स्व0 राम शंकर महतो, ग्राम–बड़ाकांकड़ा, थाना–सरायकेला, जिला– सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता कुमारी तुलसी महतो, पति – वृहस्पति महतो, ग्राम– बड़ाकांकड़ा, थाना–सरायकेला, जिला– सरायकेला–खरसावॉ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बड़ाकांकड़ा	258	123	295/अं0	12.5 डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पिता राम शंकर महतो के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। उनके दो पुत्र जिसमें एक पुत्र निःसंतान मृत्यु हो चुका है। आवेदक के पिता एवं भ्राता के मृत्यु उपरांत अपने हिस्से की आंशिक जमीन बिक्री हेतु आवेदन दिये है। बिक्रेता का हक एवं हिस्सा 23.675 ए0 भूमि है। जिसमे से 12.5 डी भूमि बिकी करने के पश्चात् उनके हिस्से में 23.550 ए0 एकड़ भूमि शेष बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 12.5 डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

सरायकेला।